

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री कुमार सुजय स्व० लक्ष्मी ना० कर्मकार, ग्राम स्टेशन रोड, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-०९/२००२(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं०-१३५७७६ के.(१२ बोर) निर्गत है। इन्होंने अंकित किया है कि पत्नी के ईलाज कराने हेतु पटना चले जाने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्रों का सत्यापन एवं नवीकरण नहीं करवा सके हैं। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति के भौतिक सत्यापन हेतु नई तिथि निर्धारित करने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक १८३५/श०, दिनांक ०९-०९-२०१३ के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा बिहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक ०४.१०.२०१३ एवं ०५.१०.२०१३ का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः दिनांक १९-१०-२०१३ की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी कुमार सुजय (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं कराए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक ४९/शस्त्र, दिनांक १२-१२-२०१३ के द्वारा शस्त्र नियमावली-१९६२ की नियम-६३ एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-०९/२००२(मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा अधूरा है। बायोडाटा में अपना उम्र ४० वर्ष से अधिक अंकित किए हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त शस्त्र का रख-रखाव किया जाना असंभव प्रतीत होता है एवं दुरुपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है। कई बार भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण किए जाने के वावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराये हैं। ये ईलाज का बहाना बनाकर आरोप से बचना चाहते हैं। इनके द्वारा समर्पित जवाब आवेदन तथ्यहीन, धामक है, जो अनुज्ञप्ति शर्तों को पूरा नहीं करता है। वर्ष २०१० के बाद स्थापित भी नहीं है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा १७ का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-०९/२००२ (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री कुमार सुजय स्व० लक्ष्मी ना० कर्मकार, ग्राम स्टेशन रोड, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र सं०-१३५७७६ के.(१२ बोर) को मधेपुरा थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा को पत्र प्राप्ति के २४ घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री कुमार सुजय द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....११६...../शस्त्र, दिनांक.....२४-८-१४.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री कुमार सुजय स्व० लक्ष्मी ना० कर्मकार, ग्राम स्टेशन रोड, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

२
२४/०३/१४
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।